

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(गौरव अग्रवाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

26 / 2017
24-10-2017

ताराचन्द्र पुत्र. देवालाल जाति माली उम्र 65 वर्ष निवासी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.

बनाम

1. कालू पुत्र देवालाल जाति माली निवासी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. मन्नी पुत्री देवालाल जाति माली निवासी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. गुड्डी पुत्री देवालाल जाति माली निवासी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. पप्पी पुत्री देवालाल जाति माली निवासी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
5. गणेश पुत्र गोपी जाति माली निवासी निवाई तहसील जिला टोंक राज.
6. लाला पुत्र गोपी जाति माली निवासी निवाई तहसील जिला टोंक राज.
7. गुड्डी पुत्री गोपी जाति माली निवासी निवाई तहसील जिला टोंक राज.
8. कंचन पुत्री गोपी जाति माली निवासी निवाई तहसील जिला टोंक राज.
9. फोरन्ती पुत्री गोपी जाति माली निवासी निवाई तहसील जिला टोंक राज.
10. गोलू पुत्र माता काली नाबालिग जरिये संरक्षक माता काली पुत्री गोपी जाति माली निवासी निवाई तहसील जिला टोंक राज.
11. कविता पुत्री माता काली नाबालिग जरिये संरक्षक माता काली पुत्री गोपी जाति माली निवासी निवाई तहसील जिला टोंक राज.
12. कोमल पुत्री माता काली नाबालिग जरिये संरक्षक माता काली पुत्री गोपी जाति माली निवासी निवाई तहसील जिला टोंक राज.
13. तहसीलदार साहब निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.



अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार निवाई नामांतरण संख्या
7500 व 7501 व 7503 ग्राम निवाई दिनांक 13.09.2017 व 15.09.
2017 कमांक 6820 / 12.09.2017

निर्णय

दिनांक 4-1-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा अपने आदेश कमांक 6820 दिनांक 12.09.2017 के क्रम में दिनांक 13.09.2017 व दिनांक 15.09.2017 को रेस्पोंडेंट्स सं. 1 ता 12 के हक में भूमि खसरा नम्बर 3688/2 किता 12 रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम निवाई तहसील निवाई का नामांतरण स्वीकृत किया है। उक्त नामांतरण विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेंट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरण की मूल प्रति मंगवाई जाकर अभिभाषक



जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्ट की बहस सुनी गई। रेस्पोंडेण्ट्स के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नामान्तरकरण अधीनस्थ तहसीलदार साहब ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गलत रूप से अवलोकन करते हुये रेस्पोंडेण्टस सं. 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के आधार पर विरासत एवं हकत्याग का नामान्तरकरण मानकर भूल की है। तहसीलदार साहब निवाई ने अपीलांट को बिना नोटिस जारी किये बिना सुनवाई का अवसर दिये एक तरफा में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जो निरस्तनीय है। अपीलांट मृतका देवा का पुत्र है वह सहखातेदार है, उसे अपना पक्ष रखे बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर नामान्तरकरण स्वीकार किया है, जो निरस्तनीय है। नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व नामान्तरकरण की जो प्रक्रिया है, वह बिना अपनाये ही अपीलाधीन नामान्तरकरण भरा गया है, अपीलांट ने रेस्पोंडेण्टस 1 ता 13 एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध एक नियमित वाद बाबत तकास्मा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी निवाई के यहां पेश कर रखा है, जिसकी वाद संख्या 80/2011 है। उक्त वाद के साथ ही अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 79/11 उपखण्ड अधिकारी निवाई के यहां रेस्पोंडेण्टस के विरुद्ध पेश किया , जो जेरेकार है, जिसमें उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 16.05.2011 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करते हुये रेस्पोंडेण्टस को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया था कि वह विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। उक्त आदेश आज दिनांक तक यथावत जारी है और उसे किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। उक्त आदेश की रेस्पोंडेण्टस को पूर्ण जानकारी है, किन्तु फिर भी रेस्पोंडेण्टस सं. 13 ने उपखण्ड अधिकारी निवाई के उक्त आदेश के विपरित जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर कानूनी भूल की है। अपीलांट ने रेस्पोंडेण्टस कालू तथा मृतक गोपी के हक में हुये हकत्याग पत्र के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष रीट याचिका पेश कर रखी है, जो जेरेकार है, जिसमें भी उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन जारी है, उसके उपरांत भी रेस्पोंडेण्टस सं. 13 ने रेस्पोंडेण्टस सं. 1 ता 12 के हक में विरासत एवं हकत्याग का दिनांक 15.09.2017 को नामान्तरकरण भर कर कानूनी भूल की है, जो निरस्तनीय है। अपीलांट को रेस्पोंडेण्टस सं. 13 द्वारा स्वीकृत किये गये अपीलाधीन आदेश एवं नामान्तरकरण की जानकारी नहीं हो सकी थी उसे दिनांक 06.10.2017 को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई, जिसकी नकल उसे दिनांक 10.10.2017 को प्राप्त हुई, उसके पश्चात वह रुपये-पैसों का इंतजाम कर अधिवक्ता से सम्पर्क किया दिनांक 14.10.2017 एवं 15.10.2017 को अवकाश होने की वजह से अपील पेश नहीं कर सका। आज नकल प्राप्ति से अपील अन्दर मियाद पेश है, अपीलांट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है, जो विलम्ब हुआ है वह उक्त कारणवश हुआ है, जिसे क्षम्य किया जाना न्यायसंगत है।

अभिभाषक अपीलान्ट की बहस के जवाब में रेस्पोंडेण्ट्स के अभिभाषक ने लिखित बहस में अंकित किया कि तहसीलदार निवाई द्वारा पारित नामान्तरकरण सं0 7500, 7501, 7502 ग्राम निवाई कों निरस्त करवाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई अपील मियाद बाहर होने से चलनेक योग्य नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है। तहसीलदार निवाई द्वारा उपरोक्त नामान्तरकरण विधि अनुसार जाँच कर तस्दीक किये गये हैं जो सही है उक्त नामा0 विरासत के आधार पर मौके पर जाकर व जानकारी कर दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर तस्दीक किया गया है एवं रजिस्टर्ड हकत्याग

के आधार पर भी उक्त नामा० तस्दीक किये गये हैं, जो पंजीकृत दरतावेज हैं जिनके असत्य एवं फर्जी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है जो चलने योग्य नहीं है। अपीलान्ट ने जिला न्यायाधीश टोंक के न्यायालय में इन पक्षकारान एवं भूमि के सम्बन्ध में एक वाद उद्घोषणा, निरस्ती हकत्याग के सम्बन्ध में पेश किया था जो वाद सं० 11/2012 बउनवानी ताराचन्द बनाम मन्नी आदि है, उक्त वाद को जिला न्यायाधीश टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 30-10-2015 के जरिए खारिज कर दिया है। इस कारण भी यह अपील चलने योग्य नहीं है।

हमने बहस पर मनन किया, प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलान्ट ने रेस्पोंडेण्ट्स 1 ता 13 एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध एक नियमित वाद बाबत तकास्मा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई के यहाँ जेरकार होना बताया है किन्तु उक्त दिनांक को स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था। राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 135(2) में प्रावधान है कि यदि उत्तराधिकार या स्थानान्तरण या अन्य अधिग्रहण विवादित हे तो तहसीलदार इस तरह के विवाद को विधि के अनुसार निस्तारित करेगा। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 135(2) के अनुसार पक्षकारान को सुनवाई का समूचित अवसर नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण आंशिक स्वीकार कर रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक स्वीकार स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार निवाई का आदेश दिनांक 13-9-2017 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि साक्ष्यो को ध्यान मे रखते हुये तथा अपीलान्ट से पर्याप्त साक्ष्य ग्रहण कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदत्त रिकार्ड का परिक्षण व जांच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 4-1-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक